संख्या– 36 /VI/2005–336(पर्य0)/2003

प्रेषक,

ए0के0 घोष,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद,
देहरादून।

पर्यटन अनुभाग देहरादून दिनांक 29 मार्च, 2005

विषयः–वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–847/VI/2004–257 पर्य0/2003, दिनांक 17–12–2004 एवं आपके पत्रांक–530/2–7–156/तीन/2004, दिनांक 28–01–2005 एवं 491/2–7–156/04–05, दिनांक 12–01–2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद को अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया है कि वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1 में ऐसी स्वायत्तशासी संस्थाओं को अनुदान दिये जाने के संबध में व्यवस्था दी गयी है कि मात्र अनुदान का उपयोग एवं लेखापरिक्षाकृत लेखा (Audited Account) भेजना अनिवार्य है तभी अगला अनुदान/राजसहायता अवमुक्त किया जाना चाहिए। सरकारी विभागों की भॉति स्वायत्तशासी संस्था बजट मैनुअल के प्राविधानों के अधीन समर्पण अथवा बी0एम0–13 वित्त विभाग को नहीं भेजता अपितु प्रशासनिक विभाग कार्य एवं वित्तीय स्थिति पर समय–समय पर स्वयं परीक्षण/समीक्षा कर सकता है। सरकारी विभाग में बैंक खाता में समेकित निधि की धनराशि रखने की प्रक्रिया नहीं है परन्तु स्वायत्तशासी संस्था बैंक खाता खोल सकता है। वित्तीय नियमों में यह भी प्राविधान है कि सरकारी खजाने से धन तभी आहरित किया जाय जब तत्काल आवश्यकता हो यदि किसी संस्था को अनुदान/राजसहायता दिया जाता है तब ऐसे आदेशों को कोषागार पर आहरण हेतु उक्त बिल पर या तो शासनादेश निर्गत करने वाला अधिकारी अथवा शासनादेश में आहरण वितरण अधिकारी के रूप में अधिकृत किसी भी अधिकारी को बिल पर प्रतिहस्ताक्षर करने पर बिल कोषागार से आहरित किया जा सकता है।

2– उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद को प्राप्त हो रहे अनुदान के व्यय एवं संचालन के संदर्भ में कृपया उपरोक्त परामर्शानुसार कार्यवाही सुनिश्चितकरने का कष्ट करें।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पर्यटन परिषद को अनुदान के रूप में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कोषागार में बिल आहरण हेतु बिल पर प्रतिहस्ताक्षर करने हेतु निदेशक पर्यटन को अधिकृत किया जाता है।

4– यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे है।
कृपया तद्नुसार भविष्य में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(ए0के0घोष)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या– /VI/2005–336(पर्य0)/2003

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।
2– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
3– समस्त, जिलाधिकारी उत्तरांचल।
4– समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
5– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
6– श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव वित्त ।
7– अपर सचिव, नियोजन।
8– निजी सचिव मा0 मुख्यमन्त्री जी, उत्तरांचल शासन।
9– निजी सचिव मा0 पर्यटन मन्त्री जी, उत्तरांचल शासन ।
10–निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल।
11–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

28/3/05

(ए0के0 घोष)
अपर सचिव।